E-पोर्टल

लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल – 462021
ई–मेल jdfbudget@gmail.com

क्रमांक / वित्त / बजट / 2019–20 / ब° 525 भोपाल, दिनांक 7-11-19

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय :– ग्रांड इन एड के देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर विषयक।

संदर्भ :– जिला शिक्षा अधिकारी, उज्जैन का पत्र क्रमांक / लेखा–अनुदान / 2019–20 / 268 दिनांक 03.10.2019

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा लेख किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अशासकीय अनुदान प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक / कर्मचारियों के वेतन तथा छात्रावासों के भोजन व्यवस्था छात्रावासों में कार्यरत कर्मियों के वेतन ज्ञानपुंज हेतु पृथक–पृथक बजट शीर्ष उद्देश्य 42–007 एवं 42–009 मद में आवंटन के आहरण हेतु एम0पी0टी0सी0. 46 पर आहरण के लिए देयक कोषालय में प्रस्तुत करने पर आपत्तियों के संबंध में मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 426 के तहत वरिष्ठ कार्यालय के प्रतिहस्ताक्षर विषयक मार्गदर्शन चाहा गया है।

विषयांतर्गत लेख है कि एम0पी0टी0सी0 46 पर सहायक नियम 426 के तहत आहरित की जाने वाली सहायता अनुदान, अंशदान, इत्यादि राशि के देयकों पर स्वीकृत–कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक हैं। ऐसे शासकीय अधिकारी, जिसकों नामांकित किया गया है, के हस्ताक्षर अथवा प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक हैं। उक्त देयकों के आहरण हेतु स्वीकृति अथवा प्रतिहस्ताक्षर हेतु मध्य प्रदेश कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 425, सहपठित सहायक नियम 127 के द्वारा अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राधिकृत किया गया है।

मध्य प्रदेश अशासकीय शिक्षण संस्था (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनों का संदाय) अधिनियम 1978 के उपबंधों के अधीन शिक्षा अधिकारी द्वारा सहायता अनुदान देयकों पर प्रतिहस्ताक्षर किये जाने का प्राधिकार मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 461 / 59 / 87 / सी / चार, दिनांक 26 मार्च 1997 द्वारा जोड़कर अधिकारों का प्रत्यायोजन किया गया है।

प्रावधानित नियमों के अनुरूप देयकों पर हस्ताक्षर व प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्ण किये जाकर देयक कोषालय में प्रस्तुत करें।

आयुक्त
लोक शिक्षण संचालनालय
मध्य प्रदेश

पृष्ठां क्रमांक / वित्त / बजट / 2019–20 / 526 भोपाल, दिनांक 7-11-19

प्रतिलिपि :–

1. वरिष्ठ निज सहायक आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म0प्र0।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण मध्य प्रदेश।।
3. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

sd/-

आयुक्त

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्य प्रदेश